FORM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर व लोभीचंद मुकाम बेगू
बनाम तहसीलदार बेगू

करम मुकदमा 93/2017 नं. .... सन् ....

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
21/8/19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, प्रथम दृष्टया मामला, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (हस्ताक्षर) 21/8/19 उपखण्ड अधिकारी बेगू (चित्तौड़गढ़)	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
प्रार्थना पत्र संख्या :: 93/2017

1. लोभीचन्द आत्मज पेमाजी धाकड निवासी चेंची तह0 बेगूँ
2. लखमीचन्द आत्मज पेमाजी धाकड निवासी चेंची तह0 बेगूँ
3. श्रीमती धापूबाई बेवा गंगाराजी धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ
4. मांगीलाल आत्मज गंगारामजी धाकड निवासी चेची तह0 बेगूँ

..... प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार सा0 बेगूँ

..... विपक्षी

उपस्थित :: श्री एस0एन0ईनाणी
अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री तहसीलदार, बेगूँ
पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक: 21.08.2019

आदेश प्रार्थना पत्र अ0धा0 212 राजस्थान काश्तकारी अधि0

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा. 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि उपरोक्त अनवान का एक वाद न्यायालय में विचाराधीन है जिसके मुकद्मा नम्बर 8/13 राजस्व वाद हैं। वाद वर्णित तथ्यो के आधार पर एवं प्रस्तुत रेकार्ड के आधार पर वादीगण का प्रथम दृष्टया पकरण पूर्णतया प्रमाणित है। मौजा चेची तह0 बेगूँ में वादीगण की खातेदारी की आराजी नम्बर 321 एवं 322 स्थित है। इन आराजीयात के साबिक नं0 487 एवं 488हैक्टेयर जो वादीगण के बुजर्ग पेमाजी के नाम रेकार्ड में अंकित है। बंदोबस्त कर्मचारियों ने रेकार्ड व नक्शे में सही रकबा अंकित नहीं किया है जो नक्शें के मीलान से ही स्पष्ट होता है। वादीगण की आराजीयात की पश्चिमी सीमा रेखा को पूर्व की ओर दबा हुआ बताया जिससे वादीगण उपरोक्त आराजीयात का रकबा बिलानाम आराजी नम्बर 320 एवं 864 में बता दिया है जिससे विवाद की स्थिति पैदा हो गई है।

वर्तमान आराजी नम्बर 320 को कर्मचारियों ने सहवन से शमशान अंकित कर दिया है एवं आराजी नम्बर 384 को रास्ता बता दिया है जो साबीक रेकार्ड के अनुसार भी एवं नक्शें के अनुसार भी गलत है किंतु इस गलत रेकार्ड के आधार पर मौके पर लोग अनावश्यक विवाद करते है और शमशान अंकित होने से अनाधिकृत निर्माण की धमकीयां देते है जो पूर्णतया गलत है और विपक्षी के भूमिधारी होने से उनका दायित्व है कि उक्त आराजी नम्बर 320 की यथावत स्थिति कायम रखे और किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दें।

प्रार्थीगण द्वारा विपक्षी को इस बाबत निवेदन भी किया गया किंतु वे इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे है जिससे विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वे इस वाद का निर्णय तक ग्राम चेंची तह0 बेगूँ की आराजी नम्बर 320 में कोई निर्माण कार्य नहीं होने देवें अन्यथा वादी को वाद प्रस्तुत करना ही निर्थक हो जायेगा एवं वादीगण को अपूणीय क्षति होगी और माके पर अनावश्यक विवाद होगें और लडाई झगडे व मुकद्मेंबाजी बढेगी।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

Scanned by CamScanner

सुविधा का संतुलन की दृष्टि से भी आराजी नम्बर 320 की मौके की यथास्थिति कायम रखना आवश्यक है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी को पाबंद फरमाया जावे कि वे ग्राम चेंची तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी नम्बर 320 की यथावत स्थिति कायम रखी जावें और किसी को निर्माण कार्य नहीं करने देवे।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षी तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रकरण में अपनी उपस्थिती दर्ज कराते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के सभी बिन्दुओं को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन में निवेदन इस प्रकार से कि ग्राम चेची की आराजी नम्बर 320 वर्तमान में राजस्व रेकार्ड में गैरमुमकिन शमशान दर्ज होकर समस्त ग्राम वासियो के सामुहिक रूप से मृत व्यक्तियो के दाह संस्कार (शमशान) के रूप में उपयोग में ली जा रही है।

प्रार्थना पत्र पत्रावली में विपक्षी तहसीलदार, बेगूँ के जवाब प्रस्तुत कये जाने के उपरान्त प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बहस उभयपक्ष की ध्यानपूर्वक सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार निवेदन करते हुए विपक्षी को मौजा चेची तह0 बेगूँ की वर्तमान आराजी नं0 320 की यथावत स्थिति कायम रखने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने व किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किये जाने हेतु पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में विपक्षी पैरोकार तहसीलदार विपक्षी द्वारा अपनी लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम चेची की आराजी नं0 320 वर्तमान में गैर मुमकिन शमशान होकर मौके पर भी शमशान के रूप में उपयोग में आ रही है, यह भूमि धारा 16 आर0टी0एक्ट के प्रभावित भूमि होने से प्रार्थी किसी तरह की राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

लिखित बहस में निवेदन यह भी किया गया कि नये पुराने नक्शे एवं आवश्यक राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया, जिससे उसका प्रार्थना पत्र प्रभावित होता है ऐसी स्थिति मं प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। शमशान भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायत की सर्वोच्च प्राथमिकता की केयर टेकर ग्राम पंचायत होती है एवं ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनान से भी प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है, साथ ही आराजी नम्बर 320 ग्राम चेची की भूमि वर्तमान में प्रार्थी के कब्जे काश्त में नहीं होने के अभाव में प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमावें।

पत्रावली 212 आर.टी.एक्ट पर अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं विपक्षी तहसीलदार, की बहस सुने जाने एवं लिखित बहस पर मनन किये जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया।

प्रार्थना अस्थाई व्यादेश देने के लिए मुख्य तीन शर्ते प्रतिपादित है, जिन पर निर्णय निम्न प्रकार किया जाता है :–

<u>प्रथम दृष्टया मामला :–</u>

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा चेची सं. 2072 से 75 का अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि श्री लाभीचन्द लखमीचन्द पिता पेमा धापूबाई बेवा गंगाराम मांगीलाल पिता गंगाराम धाकड सा. देह खातेदार रहन हिस्सा लक्ष्मीचन्द का 1/4 बून्दी चि.क्षे.ग्रा.बैंक शाखा चेची व रहन हि. लोभीचन्द का स.भू.वि.बैंक चि.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

Scanned by CamScanner

शाखा बेगूँ में अंकित आराजी संख्या 321, 322, 329, 336, 358, 360, 362, 365, 370, 372 किता–10 कुल रकबा 2.9630 हैक्टर भूमि के प्रार्थीगण खातेदार है,जबकि प्रार्थीगण मौजा चेची की आराजी नम्बर 320 की यथावत स्थित व निर्माण कार्य नहीं करने देने हेतु विपक्षी को पाबंद करवाना चाहते है,जिसके प्रार्थीगण खातेदार नहीं है। विपक्षी तहसीलदार,बेगूँ द्वारा अवगत कराया गया है कि आराजी संख्या 320 के ग्राम चेची की गैर मुमकिन शमशान भूमि होकर शमशान के उपयोग में लाई जा रही है। पत्रावली में प्रस्तुत की गई नकल जमाबंदी मौजा चेची सं. 2072–75 का अवलोकन किये जाने पर पाया कि आराजी संख्या 320 रकबा 1.6680 हैक्टर वाके ग्राम चेची की भूमि श्मशान भूमि के रूप में दर्ज जमाबंदी है, उक्त भूमि का उपयोग शमशान भूमि के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए विपक्षी को प्रार्थीगण पाबंद कराने का अधिकार नहीं रखते है, यदि शमशान भूमि के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी किया जाता है तो आमजन आहत होता है साथ ही दस्तावेजी सबूत से भी प्रार्थीगण उक्त आराजी के खातेदार नहीं है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

सुविधा का संतुलन :–

मौजा चेची की आराजी नम्बर 320 रकबा 1.6680 हैक्टर भूमि जो नकल जमाबंदी अनुसार शमशान की भूमि दर्ज होकर शमशान के लिए उपयोग में ली जा रही है उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त नहीं है, दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वर्णित भूमि 320 रकबा 1.6680 हैक्टर भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का नही होने व प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि नहीं होने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है।

अपुरणीय क्षति :–

जिस आराजी नमबर 320 रकबा 1.6680 हैक्टर भूमि के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश जारी करवाने का प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण लाये है वह भूमि शमशान भूमि होने से पाबंद किये जाने पर आमजन आहत होता है तथा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने पर प्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होती है। प्रार्थीगण द्वारा बंदोबस्त की गलती बताते हुए उक्त भूमि की घोषणा का वाद भी प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में किया है किन्तु अभी वाद पत्र का निर्णय होना शेष है, एवं प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अस्थाई व्यादेश की यह शर्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही होती है।

अस्थाई व्यादेश की तीनों शर्तो को प्रार्थीगण अपने पक्ष में सिद्ध करा पाने में असफल रहने से प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दस्तोवजी साक्ष्य के आधार पर सिद्ध नहीं होने से प्रार्थना पत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

21/8/19

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ, जिला-चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner